

विजय नगर


कमलेश्वर मठ
पं. १०४
राज्यपालिका रायपुर
वट
जिला रायपुर

(21)

(22)



वि. कालेज



विद्यालय
भूमि

कमलेश्वर मठ
राज्यपालिका

केन्द्रीय
विद्यालय

राज्यपालिका

अधिक विद्यालय

विद्यालय

स्वयंसेवा वि. वि. का
संकेत मंडल

टीप

- 1) स्वयंसेवा भूमि के अन्तर्गत वि. कालेज एवं कमलेश्वर मठ के अन्तर्गत 4 कक्षाओं के लिए भूमि परिसर में देना आवश्यक है।
- 2) भूमि कासादी उपयोग के लिए है।
- 3) भूमि कासादी के लिए भूमि में शिल्लक देनी है।

Handwritten signature and date: 20/10/2019

मजल अधिकारी
राज्यपालिका

15] यदि किसी भी उक्त श्रेणी उपयोग उक्त प्रयोक्त के लिये उपयोग नहीं होता है या यदि में कभी रोक कर दिया जाता है तो श्रेणी तथा उस पर निर्मित भवनों एवं सम्पत्तियों के साथ वास्तव में निहित जो जमिनी और आवासीयों को उक्तों द्वारा बनाये गये नहीं होगा ।

16] वास्तव के प्रतिनिधि , अधिकृत व्यक्ति तथा कोलर या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को श्रेणी के तहत प्रयोग एवं तथा शर्तों के प्राप्ति का निरीक्षण करने के लिए कभी भी श्रेणी एवं उन पर निर्मित वास्तव के निरीक्षण का अधिकार होगा ।

2/- अवस्था जारी होने की तिथि से तत्पश्चात् प्रख्याती की सम्पूर्ण राशि व सुभागा की राशि 3: राशि के अन्दर बना कराये गये निष्पत्तिस्त अधिकृत प्रख्याती व सुभागा बना नहीं करते है तो आर्सेन अवस्था स्वयं निरस्त माना जायेगा ।

3/- आपके कार्यालय से प्राप्त राजस्व प्रकरण क्रमांक मुक्त: संलग्न कर लौटाया जाता है ।

तलमन:- उपरोक्तानुसार

उत्तरीखण्ड के राजस्व एवं के नाम से
समय : दिनांक

सही |
श्री पी. एस. मिश्रा जी
अवर सचिव

उत्तरीखण्ड, वास्तव, राजस्व विभाग

पु090/स्फ-4-19/सा-1/04/रा.

रायपुर, दिनांक 14/12/04

प्रतिनीधि:-

प्रत्यर्थ निम्नोपरोक्तानुसार कर रायपुर की ओर स्वकार्य एवं वास्तविकता ।

(Signature)

अवर सचिव
उत्तरीखण्ड, वास्तव, राजस्व विभाग
8/12/04

FORM C G TC 7
(See Subsidiary Rules 59)

★ 04A

शंकर स्टेशनरी Ph.: 2223465

CHALAN NO. जयपुर नगरपालिका नगरपालिका नगरपालिका Original/Duplicate/Triplicate

Challan is money paid in to the State/Reserve Bank of India/ Treasury Sub/ Treasury (To be present at the Treasury's single or duplicate or triplicate as the cases may be)

तजान मे इसकी एक या दो या तीन तकले जैसा कायदा हो पेश करना चाहिए।

विलेयता thought जौत नामा	On what account किस बाबत	Under Rupees in Words कितने रुपये के अंदर कितने रुपये के अंदर	Amount रकम
...	श्रीम दुधरतालाच पहनं 104 ख.नं. 553/2 रफखा 10.00 मुद्रा भूमि का 25=00 रुपये मुद्रा भूमि का 25=00 रुपये	पंजीकृत नकशा मुद्रा	मूल्य 25=00 मुद्रा 30=00
		Total मोजान	55=00

Words पचपन रुपये मात्र

Head of Revenue	0029 नजम रेंट एवं विविध	Details तफशील
Major Head	प्राप्ति	Note नोट
Sub Head	इतिहासगत शासन	Case नगदी
		Total मोजान

certified that the amount shown above been entered in the departmental Register to be head of revenue indicated above

Signature of Tenderer

25/12/20 66 Departmental officer

KENDRIYA VIDYALAYA 2

For use in Treasury खजाने में इस्तेमाल के लिए

Examined	Received	Entered No.
Rs (in figures)		
Rs (in words)		
Initial in		
Accountant	Signature of Treasurer	Signature of Accountant

20

Treasury officer

Saat

5A

पट्टेदार उक्त भूमि पर ऐसा किसी भवन का निर्माण करने की अनुज्ञा नहीं देगा जिसका कि कोठे दरवाजा, खिड़की अथवा प्रकाश या वायु के लिए या प्रवेश के साधन के रूप में कोई अन्य भाग, भवन या भूमि के शेष भागों में तो, जिससे कि ऐसी शेष भागों से लगी हुई भूमि पर प्रकाश या वायु या मार्ग संबंधी कोई भी अधिकार अर्जित किया जा सके, इसका आशय यह है, कि न तो यह पट्टा और न इसमें अवस्थित कोई भी बात पट्टाकर्ता को या उससे धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी शेष भागों पर उक्त भूमि की सीमा से सटे हुए पार्श्व में किसी भी भवन को किसी भी समय निर्माण करने की किसी भी रूप में नियायत नहीं करेगी।

(3-ख) पट्टेदार उक्त भूमि पर निर्मित भवन में, या उससे सटे हुए या उसके पास या इसके सामने किसी ऐसे प्रलम्बन या संरचना को, जो कि एतद द्वारा पट्टान्तर्गत की गई उक्त भूमि पर किसी भी भूमि पर आगे की ओर निकलता/निकलती हो या उस पर अतिक्रमण करता/करती हो, नहीं जो निर्माण और न इसका स्थापन करेगा।

(3-ग) पट्टेदार उक्त भूमि के सामने की ओर पार्श्व में कम से कम आठ फुट चौड़ी तथा उक्त भूमि के पार्श्वों में से प्रत्येक भाग की ओर पार्श्व में कम से कम पांच फुट चौड़ी खुली छोड़ेगा, परन्तु पीछे की ओर पार्श्व में की पांच फुट जगह पर केवल एक संडार ही बनाया जा सकेगा।

(3-घ) कुल निर्मित क्षेत्र उक्त भूमि के कुल क्षेत्रफल 10 एकड़ के 50/33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3-ङ) यदि नगर पालिका परिषद की भवन निर्माण संबंधी उपविधियों द्वारा अपेक्षित हो कि पार्श्व में उतनी जगह से अधिक जगह खुली छोड़ी जानी चाहिये या निर्मित क्षेत्र उतने से कम होना चाहिए जितना/जितनी कि क्रमशः खण्ड (3-ग) तथा (3-घ) का विनिर्दिष्ट है, तो भवन निर्माण संबंधी ऐसी उपविधियों के उपबन्ध ही अभिभावी होंगे।

(4) भवन का विनियमन- उक्त भूमि पर किसी भवन के निर्माण, पुर्ननिर्माण या परिवर्तन के विषय में पट्टेदार नगर पालिका से संबंधित विधि के उपबंधों के तथा उन नियमों, सर्वाधिकार एवं आदेशों के, जो कि उसके (उक्त विधी के) अधीन विधिपूर्वक बनाये गये/बनाये गये हो, तथा दिए गये हो और जो कि तत्समय प्रवृत्त हो, अध्याधीन रहेगा। यह भवनों, उनमें किये जाने वाले परिवर्तनों या उनमें की जाने वाली वृद्धियों के समस्त रेखाओं पर कलेक्टर का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिये आवश्यक होगा।

(5) समुचित अनुरक्षण- पट्टेदार, उक्त अवधि के दौरान, उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों को वास तथा उपयोग के योग्य दशा में रखेगा।

(5-क) नगूल भू-परिमाण मानचित्र पर के संरक्षित (ट्रावर्स) भू-परिमाण चिह्न क्रमांक..... उक्त भूमि पर विद्यमान है। पट्टेदार कलेक्टर को पूर्व अनुज्ञा के बिना उन पर पर कोई ऐसा निर्माण नहीं करेगा या उनके संबंध में अन्यथा कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा जिससे कि उनके उपयोगिता का ह्रास हो जाय।

109 58 111/14
3... (5B) (11)

(6) क. व्यापार या कारोबार - पट्टेदार कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा के बिना परिसर पर कोई भी ऐसा व्यापार कारोबार या क्रिया-कलाप, जिसके कि विनियमन के लिये नगर पालिकाओं से संबंधित विधि द्वारा या उसके अधीन तत्समय कोई उपबंध किया गया हो, न तो करेगा और न ही किये जाने की अनुज्ञा देगा, परन्तु ऐसी अनुज्ञा पट्टेदार को उक्त विधि के अधीन ऐसी किन्हीं भी अपेक्षाओं की पूर्ति करने से छूट नहीं देगी जिनके कि अध्याधीन वह रहेगा।

(6-ख) पट्टेदार परिसर पर कोई भी ऐसा व्यापार, कारोबार या क्रिया-कलाप, जो कि इस प्रकार विनियमित न किया गया हो, कर सकेगा या किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा किन्तु वह उसे बंद करने के लिये दशा में आबद्ध होगा जबकि पट्टेकर्ता, पट्टेदारों की शिकायत पर अपना वह समाधान कर लेने के पश्चात कि वह (व्यापार या क्रिया-कलाप) उनके लिये क्षोभ या संतान का कारण है, पट्टेदार से अपेक्षा करे कि वह पट्टेदार ऐसे समय के भीतर जो कि अध्यक्षों में नियत किया जाये, उस व्यापार कारोबार या क्रिया-कलाप को बंद कर दें।

(7) समनुदेशन - पट्टेदार परिसर या उसके किसी भी भाग के प्रत्येक समनुदेशन पर और तत्पश्चात एक कलेण्डर मास के भीतर कलेक्टर को ऐसे समनुदेशन की सूचना देगा जिसमें कि ऐसे प्रत्येक समनुदेशन के पक्षकारों के नाम, तथो वर्णन और उसकी (प्रत्येक समनुदेशन की) विशिष्टियाँ एवं प्रभाव उपवर्णित किये जायेंगे। इसी प्रकार पट्टेदार का हित उत्तराधिकारी भी, चाहे वह अंतरण द्वारा हो या विरासन द्वारा इस बात के लिये आबद्ध होगा कि वह कब्जा प्राप्त करने के पश्चात एक मास के भीतर वैसी विशिष्टियाँ सहित सूचना दें।

(8) निर्बाध उपयोग - पट्टेकर्ता यह प्रसविदा करता है कि एतद् द्वारा आरक्षित भाटक का संदाय करने वाला और इसमें अंतर्विष्ट शर्तों का पालन तथा अनुपालन करने वाला पट्टेदार पट्टेकर्ता या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी विधिपूर्ण विध्वन या विक्षोभ पहुँचाये गये बिना, उक्त अवधि के दौरान उक्त भूमि को शान्तिपूर्वक धारण करेगा और उसका उपभोग करेगा।

पुनः प्रवेश - परन्तु यदि किसी भी समय, उक्त भाटक या उसका कोई भी भाग, चाहे उसकी विधिपूर्वक प्रांग की गई हो या नहीं, उस तारीख के जिसकी कि वह शोध्य हो गया हो ठीक पश्चात एक कलेण्डर मास तक बकाया या असंदाय रहे, और यदि पट्टेदार उक्त शर्तों से किसी भी शर्त का भंग या अनुपालन करें, तो पट्टेकर्ता किसी भी पूर्व कारण या पुनः प्रवेश के अधिकार का अधित्यजन कर देने पर भी, उक्त भूमि पर प्रवेश कर सकेगा और उसे उसी प्रकार पुनः कब्जे में ले सकेगा मानो कि यह पट्टेदान्तरण किया ही नहीं गया हो, ऐसी दशा में पट्टेदार ऐसे पुनः प्रवेश की तारीख से तीन कलेण्डर मास के भीतर उन समस्त भवनों एवं स्थापकों को हटाने का हकदार होगा जो पट्टेदान्तरण के चालू रहने के दौरान किसी भी समय उसके द्वारा उक्त भूमि पर निर्मित किये गये हों या लगाये गये हों।

परन्तु यह और भी कि जब पूर्वगामी परन्तुक के अधीन कोई कारण या पुनः प्रवेश का अधिकार उत्पन्न हो जाये, तो पट्टेकर्ता के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह पुनः प्रवेश की शक्ति का प्रयोग में न लाने के प्रतिफलस्वरूप 500 रुपये से अनधिक धनराशि, जैसी कि कलेक्टर नियत करे, पट्टेदार से प्राप्त करे और यदि पट्टेदार, कलेक्टर के आदेश द्वारा नियत किये गये समय के भीतर ऐसी धनराशि का संदाय न करे तो उसे भू-राजस्व के बकाया की भाँति करे या पूर्वगामी परन्तुक के अधीन पुनः प्रवेश के अधिकार का प्रयोग में लाये।

(9) नवीकरण - पट्टाकर्ता यह और प्रसविदा करता है कि वह एतद् द्वारा मन्जूर की गई अवधि के अन्त में और उसी प्रकार उसके पश्चात भी समय पर, ऐसी प्रत्येक आनुक्रमिक उत्तरभावी अवधि के जो कि पट्टेदार के निवेदन तथा खर्च पर मन्जूर की जायेगी, अन्त में उसके लिये उक्त भूमि का नवीकृत पट्टा नीचे वर्ष की अवधि के लिये निष्पादित करेगा।

परन्तु प्रत्येक नवीकृत पट्टे की मंजूरी के लिये भाटक में वृद्धि की जा सकेगी और यह कि प्रत्येक नवीकृत पट्टे में इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों में से ऐसी शर्तें जो कि लागू होने योग्य हों और ऐसी अन्य शर्तें जो कि भविष्य के लिये उचित समझी जाएँ, अन्तर्विष्ट रहेगी।

परन्तु यह और भी कि प्रत्येक आनुक्रमिक नवीकरण पर नियत किये गये अन्तर्विष्ट भाटक तथा अधिरोपित की जाने वाली शर्तों के बारे में पट्टाकर्ता का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(10) निर्वाचन - इस बात पर सहमति है कि इसमें प्रयोग में लाई गयी अभिव्यक्तियाँ, पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार के अंतर्गत, जब कि संदर्भ में असंगत न हों, पूर्व कथित के मामले में उसके उत्तरवर्ती तथा समनुदेशित और पश्चात कथित मामले में उसके वारिस, निष्पादक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि तथा समनुदेशित आणेंगे।

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग का क्रमांक एफ-4 -19/सात-1/04 रायपुर दिनांक 14/12/2004 के अनुसार प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 02 रायपुर को ग्राम डुमरतालाब प.ह.नं. 104 स्थित भूमि ख.नं. 533/2 का रकबा 10.00 एकड़ भूमि मात्र 25.00 (पच्चीस रुपये) पूंजीकृत मूल्य लेकर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु सामान्य शर्तों के साथ-साथ नीचे लिखी विशेष शर्तों के अधीन स्थायी पट्टे पर आबंटन की स्वीकृति प्रदान की गई।

- (1) भूमि के किसी भी उपयोग व उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी औपचारिकतायें अनुमति अनुमोदन एवं अनपत्तियाँ संबंधित संस्थाओं नगर निगम, नगर तथा ग्राम निवेश आदि से लेनी होगी।
- (2) पर्यावरण सुधार की दृष्टि से आबंटित भूमि के अन्दर अनुमोदित किस्म के निर्धारित संस्था में वृक्ष भी लगाने होंगे।
- (3) भूमि उपयोग अन्य उपयोग के लिये नहीं होगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी या भूमि का पूर्ण बाजार मूल्य देय पेनल्टी आदि के साथ लिया जावेगा।
- (4) भूमि या उसके किसी भग या उस पर बने किसी भी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही विक्रय किया जावेगा या किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य उपयोग के लिये दिया/उपलब्ध कराया जावेगा।
- (5) यदि किसी भी उक्त भूमि उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये उपयोग नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों एवं सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और आबंटितों को उसका मुआवजा देय नहीं होगा।
- (6) शासन के प्रतिनिधि, अधिकृत व्यक्ति तथा कलेक्टर या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तों के पालन का निरीक्षण करने के लिये कभी भी भूमि एवं उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।

आदेश जारी होने की तिथि से संस्था से प्रब्याजी की सम्पूर्ण राशि व भू भाटक की राशि छः माह के अन्दर जमा करावे यदि निर्धारित अवधि तक प्रब्याजी व भू-भाटक जमा नहीं करते है तो आबंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

संपत्ति का वर्णन- उमर निर्दिष्ट की गई अनुसूची -


* * * * *

ग्राम दुमरतालाब प.ह.नं. 104, रा.नि.मण्डल रायपुर स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 533/2 रकबा 10.00 एकड़ भूमि केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु आबंटन किया गया।

जिसके साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षकारों ने प्रत्येक मामले में लिखित तारीख तथा वर्ष की इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

साक्षीगण

- 1.....
- 2.....



नजूल अधिकारी,
रायपुर, छत्तीसगढ़

अपर कलेक्टर,
रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से
कलेक्टर के हस्ताक्षर
तारीख.....

साक्षीगण

- 1 श्री कनिष्क कुमार सिंह: आ-डी आर. पी. सिंह
- 2 श्री नरेश रामपुर: Singh

(2) श्री बी. आर. पाटिल
श्री (स्व.) बरातु राम पाटिल

श्री. अमर
उप/का/व



पट्टेदार के हस्ताक्षर
तारीख... 31/11/04



~~12/12/2004 15 1374 100~~

6

Ushudo



~~...~~
...

50-

~~...~~


~~...~~

~~...~~

~~...~~
...

① ~~...~~

② ~~...~~



4 JAN 2005

...

50 Rs.




(87)

2

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...

70



श्रीमति बकुल सरकार
 स्थाप्य सदस्य
 अंबेडकी बाका, रायपुर (छ. ग.)



Handwritten signature

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

4 JAN 2005

...

4 JAN 2005
 30529
 507.54
 99293

1) अनिल कुमार सिंह कामकाज श्री कार. प. रिस.
 शंकर नगर रायपुर Kingh

...	50
...	10-00
...	10-00
...	5-00

2) कौणिकार कामकाज स्व. श्री कारावुराम पाटेल
 शंकर नगर रायपुर
 ...
 ...

खसरा पाच साला

ताम ग्राम हुमरताळाव

पटवारी हल्का नम्बर १०४४

रा. नि. म. रायपुर - १

तहसील व जिला रायपुर रायपुर

सन् २००२-०३

11

क्र.सं.	रकबा यदि भूमि गैर खाते की है तो विवरण	कब्जेदार का नाम पिता अथवा पति का नाम, सकूतन, हक्क देखो काण्ड 5 वा अध्याय 5 लेण्ड रिकार्ड में न्युअल जिल्द।	भूमि स्वामी के पहाधारी या मौसमी कृषक के उप पट्टेधारी का नाम बाप का नाम लगान या पड़े राशि और पट्टे पर दी गई भूमि का रकबा	रकबा जो खाते शामिल						नाम जिनस और रकबा जो गैर खाते रकबे में हुई है		
				गिस पर साल के अंदर फसल हुई			पडती रकबा					
				नाम जिनस	रकबा	रकबा दु फसली	चालू वर्ष की पडती	2 साल से 5 साल तक की पडती	अन्य पडती			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	$\frac{898}{228/9}$	80.867	रविशंकर विश्व- विद्यालय रायपुर शासकीय पट्टेदार							80.867		
	$\frac{898}{222/2}$	8.998	आबादी									
	$\frac{898}{222/3}$	8.993	बात									
	$\frac{898}{223/8}$	83.329	रविशंकर विश्व- विद्यालय रायपुर शासकीय पट्टेदार							83.329		

इसका जे
विभाग
पंजी.
कलेक्टर
के
अंतर

संतोष विपुल
पं. १०४० नं. १०४
रायपुर २/०५

• अमानत पोर्क नौबत, रायपुर (12)

क क रायपुर/१५ २/१३/१०५

अमानत
के लिये अमानत पोर्क
२/१३/१०५

आज दिनांक २/१३/२००५ का
के लिये अमानत पोर्क को अमानत ले आता
है कि आज अमानत पोर्क नं० १०४ के लिये
अमानत लेना ५३३/२ अमानत ३.११४ है अमानत
होना अमानत १०४ नं० अमानत अमानत अमानत
अमानत अमानत अमानत अमानत अमानत
अमानत अमानत अमानत अमानत अमानत
अमानत

२/१३/०५
अमानत
(U. Netam)

2/13/05
(N. K. Singh, Patwari)
Principal
2/13/05
(V. SHUKLA)
Principal KV 2.

13

विद्यालय तहसीलदार, रायपुर
विद्यालय तहसीलदार रायपुर उ.ग.

क. स. वा. तह/05

रायपुर दिनांक 02/02/05

प्रति,

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय नं. -2
रायपुर उ.ग.

आज दिनांक 02/02/2005 को केन्द्रीय विद्यालय को शासन से प्राप्त भूमि ग्राम हुमरतालमि प.ह.नं. 104 स्थित भूमि व.नं. 533/2 रकबा 3.914 हे. भूमि का हल्का पटवारी 104 नंद कुमार सिन्हा, रा.नि. रायपुर एक श्री नंद कुमार को स्वाम पटटा धारक श्री व्ही. शुक्ला के साथ छोटा का सीमांकन कर बताया गया ।

पटवारी

[Signature]
21/2/05

21/2/05
तहसीलदार
रायपुर

॥ नंद कुमार सिन्हा ॥

[Signature]

॥ व्ही शुक्ला ॥
प्राचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय नं. -2
रायपुर उ.ग.

17A

12-2005

प्रकरण तहसीलदार रायपुर से प्राप्त प्रतीवेदन दिनांक 24-12-05
से सहमत । प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हे. श्रीमान् कलेक्टर रायपुर
को सन्निहित ।

श्रीमान् कलेक्टर
रायपुर

अनुविभागीय अधिकारी: रा:
रायपुर

29-12-2005

प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर से प्राप्त ।

प्रकरण का परिशीलन किया गया ।

21- प्रकरण में प्राथमिक जांच तहसीलदार, रायपुर द्वारा की गई । तहसीलदार, रायपुर ने अपने जांच प्रतिवेदन में केन्द्रीय विद्यालय रायपुर की कुमरतालाब पोस्ट 0 104 स्थित शासकीय भूमि तसराना नं० 53312 रकबा 10-00 एकड़ (स्थल पर 9-67 एकड़) भूमि का आवंटन शासन द्वारा किये जाने पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु सुदार्ढ कार्य प्रारंभ करने पर विश्वविद्यालय द्वारा स्थल पर जाकर कार्य रूखाया गया । केन्द्रीय विद्यालय के पदाधिकारियों एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से बर्ना करने पर केन्द्रीय विद्यालय के पदाधिकारियों ने उक्त भूमि को शासन के द्वारा आवंटित किया जाना बताया है । प्रतिवेदन में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने इसी भूमि को 50आर्ह०टी०के लिए चिन्हार्कित करते हुए उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है इस पर शीघ्र शिलान्यास किया जाना है बताया है साथ ही यह भी बताया है, कि परिसर से लगी 66 एकड़ भूमि का जर्न विर्र जाने की कार्यवाही को जल्द ही ही प्रारंभित किया है । प्रतिवेदन में कुलस्विक एवं केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य के साथ संयुक्त बर्ना की रूख गई एवं उक्त स्थल केन्द्रीय विद्यालय हेतु दिलवाय

1413

जाने के लक्ष्य में लक्ष्यित पुस्तिकाएं कुमरताखण पं० सं० 104
 स्थित भूमि खतरा नं० 533 के ही खण्ड 9-68 एकड़ भूमि
 जाहीदत पूर्व की। अनुसार उही खतरा नं० के स्थल प्रतिवेदन
 का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वही विश्व विद्यालय की ओर
 है उनके पुस्तक के द्वारा वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार भूमि देने पर
 लक्ष्यित स्थल का है जिसका स्थल एक प्राचार्य केन्द्र विद्यालय
 को भी दिलाया गया है भी लक्ष्यित है। लक्ष्यित स्थल के लक्ष्य
 में राजस्थान विरोधक पटवारी से लक्ष्यित नक्शा स्व प्रतिवेदन
 किया गया जो मुद्रक के लक्ष्य है बताया जाकर नक्शा में स्थल
 लक्ष्यित करने का प्रस्ताव उचित माध्यम से इस न्यायालय को
 प्रेषित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर में उचित
 प्रतिवेदन में लक्ष्यित, रामपुर के प्रतिवेदन से लक्ष्यित होने हुए
 प्रकरण इस न्यायालय को उचित कार्यवाही प्रेषित किया है।

प्रकरण में अतिरिक्त राजस्थान अधिकारियों के द्वारा प्रतिवेदन
 अनुप्रकरण में अतिरिक्त प्रस्तावित तथा 2000 मुद्राखण्ड इतिहास का
 अनुमति से अधीन किया गया। किताब के लक्ष्य में केन्द्रिय
 विद्यालय को कुमरताखण्ड पं० सं० 104 स्थित शालाकीय भूमि
 खतरा नं० 533 12 खण्ड 10-00 भूमि का जाहीदत किया है
 जिस पर निम्नानुसार उक्त विभाग से 25-00 संवीकृत मूल्य का
 उनके पदा में पट्टा मस नक्शा जारी किया गया है। उही
 लक्ष्यित करने के लिये विद्यालय से विश्वविद्यालय के विवाद को
 सुलझाने हेतु दोनों विभागों के पदाधिकारियों से संयुक्त बर्तन
 कर नक्शा में स्थल लक्ष्यित करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है।
 वही लक्ष्य में 2000 मुद्राखण्ड इतिहास 1959 की धारा 126 का
 अर्थ अधीन किया गया धारा 125 मुद्राखण्ड, लक्ष्यित लक्ष्यियों
 तथा 2006 संख्याओं के नीचे सीमाओं के धारे में विवाद
 का विनिश्चित करने का प्रावधान सम्पन्न है।

14D

प्रकरण को स्वर, रायपुर से प्राप्त हुआ । प्रकरण का अन्वेषण किया । प्रकरण में केन्द्रीय विभाग रायपुर की आर्बिडिभूति का मानचित्र संशोधन करने का आदेश प्राप्त है । अतः केन्द्रीय विभाग रायपुर को आर्बिडिभूति का संशोधन मानचित्र बनाने तथा भूतल का अन्वेषण संपन्न करवाकर देना प्रकरण अनुसंधान विभाग रायपुर को भेजा जावे ।

अनुसंधान

31/12/05 प्रकरण नमूने आदिवासी रायपुर से प्राप्त ।

सहसंनदा रायपुर की पूर्व अदिवासी के बालन से कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

for
31/12/05
अनुसंधान
रायपुर

अनुसंधान विभाग
रायपुर

14D

15

श्रीमान सहस्रीदार महोदय
शामपुर

विषय:- ग्राम इमरतालाब प.ह.नं. 104 न.व.जि.
शामपुर में रक.नं. 533 का भाग रकबा 3.914 हे. की
स्थल परिवर्तन के संबंध में प्रस्तावित प्रतिवेदन
महोदयजी,

निवेदन है कि उपरोक्त विषयवाली ग्राम
इमरतालाब प.ह.नं. 104 में आवंटित भूमि के-डीम
विद्यालय शामपुर के रक.नं. 533 का भाग रकबा
3.914 हे. के स्थल जांच करने पडुचा। प्र.नं. के-डीम
विद्यालय शामपुर की आवंटित भूमि नम्बरो के अनुसार
खतलाई गई त्रिज पर शिवांगर विश्वविद्यालय द्वारा
आपत्ति प्रस्तुत की गई। जलदे रजिस्ट्रार निरवविद्यालय
शामपुर के द्वारा स्थल के संबंध में लिखित में जो
कुमांठ भोत्रिनी/2005/शामपुर दिनांक 21.12.2005 के
अनुसार नजरी तौर पर स्थल दर्शाया गया है उसी
स्थल की के-डीम विद्यालय शामपुर की ओर से उपस्थित
आचार्य श्री सुमला की स्थल दिखाया गया।

उपरोक्त स्थल के अनुसार संलग्न नम्बरो
में प्र.नं. आवंटित स्थल एवं जर्मान में प्रस्तावित
स्थल को दर्शाया गया है। जर्मान में उक्त नं.व. की नम्बरा
उपलब्ध नहीं है। वही नं. वारण जगिया, शामपुरा और
निरहुली की सरहद की आपत्त में मिलान कर नम्बरा
जुवाट दिया गया है। महोदय के निवेदन है कि उक्त प्रस्तावित
नम्बरा के अनुमोदन के बाद नम्बरा जुलत दिया जाना
अचिर होगा।

रिपोर्ट साइर प्रस्तुत

26/12/05

राजस्व-निरीक्षक
शामपुर-1

- संलग्न:- (1) पत्तारी (जाना पंजीकाला
की प्रतः प्रती
- (2) नम्बरा प्रस्तावित
- (3) निरवविद्यालय की सरपति पत्र
- (4) डी.नं.के स्थल (नम्बरा)

26/12/05
5.1.5

उत्तर निवेदन

महोदयजी
पत्र नं. 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516-3517-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529-3530-3531-3532-3533-3534-3535-3536-3537-3538-3539-3540-3541-3542-3543-3544-3545-3546-3547-3548-3549-3550-3551-3552-3553-3554-3555-3556-3557-3558-3559-3560-3561-3562-3563-3564-3565-3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-3573-3574-3575-3576-3577-3578-3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3592-3593-3594-3595-3596-3597-3598-3599-3600-3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619-3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639-3640-3641-3642-3643-3644-3645-3646-3647-3648-3649-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659-3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3714-3715-3716-3717-3718-3719-3720-3721-3722-3723-3724-3725-3726-3727-3728-3729-3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739-3740-3741-3742-3743-3744-3745-3746-3747-3748-3749-3750-3751-3752-3753-3754-3755-3756-3757-3758-3759-3760-3761-3762-3763-3764-3765-3766-3767-3768-3769-3770-3771-3772-3773-3774-3775-3776-3777-3778-3779-3780-3781-3782-3783-3784-3785-3786-3787-3788-3789-3790-3791-3792-3793-3794-3795-3796-3797-3798-3799-3800-3801-3802-3803-3804-3805-3806-3807-3808-3809-3810-3811-3812-3813-3814-3815-3816-3817-3818-3819-3820-3821-3822-3823-3824-3825-3826-3827-3828-3829-3830-3831-3832-3833-3834-3835-3836-3837-3838-3839-3840-3841-3842-3843-3844-3845-3846-3847-3848-3849-3850-3851-3852-3853-3854-3855-3856-3857-3858-3859-3860-3861-3862-3863-3864-3865-3866-3867-3868-3869-3870-3871-3872-3873-3874-3875-3876-3877-3878-3879-3880-3881-3882-3883-3884-3885-3886-3887-3888-3889-3890-3891-3892-3893-3894-3895-3896-3897-3898-3899-3900-3901-3902-3903-3904-3905-3906-3907-3908-3909-3910-3911-3912-3913-3914-3915-3916-3917-3918-3919-3920-3921-3922-3923-3924-3925-3926-3927-3928-3929-3930-3931-3932-3933-3934-3935-3936-3937-3938-3939-3940-3941-3942-3943-3944-3945-3946-3947-3948-3949-3950-3951-3952-3953-3954-3955-3956-3957-3958-3959-3960-3961-3962-3963-3964-3965-3966-3967-3968-3969-3970-3971-3972-3973-3974-3975-3976-3977-3978-3979-3980-3981-3982-3983-3984-3985-3986-3987-3988-3989-3990-3991-3992-3993-3994-3995-3996-3997-3998-3999-4000-4001-4002-4003-4004-4005-4006-4007-4008-4009-4010-4011-4012-4013-4014-4015-4016-4017-4018-4019-4020-4021-4022-4023-4024-4025-4026-4027-4028-4029-4030-4031-4032-4033-4034-4035-4036-4037-4038-4039-4040-4041-4042-4043-4044-4045-4046-4047-4048-4049-4050-4051-4052-4053-4054-4055-4056-4057-4058-4059-4060-4061-4062-4063-4064-4065-4066-4067-4068-4069-4070-4071-4072-4073-4074-4075-4076-4077-4078-4079-4080-4081-4082-4083-4084-4085-4086-4087-4088-4089-4090-4091-4092-4093-4094-4095-4096-4097-4098-4099-4100-4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4108-4109-4110-4111-4112-4113-4114-4115-4116-4117-4118-4119-4120-4121-4122-4123-4124-4125-4126-4127-4128-4129-4130-4131-4132-4133-4134-4135-4136-4137-4138-4139-4140-4141-4142-4143-4144-4145-4146-4147-4148-4149-4150-4151-4152-4153-4154-4155-4156-4157-4158-4159-4160-4161-4162-4163-4164-4165-4166-4167-4168-4169-4170-4171-4172-4173-4174-4175-4176-4177-4178-4179-4180-4181-4182-4183-4184-4185-4186-4187-4188-4189-4190-4191-4192-4193-4194-4195-4196-4197-4198-4199-4200-4201-4202-4203-4204-4205-4206-4207-4208-4209-4210-4211-4212-4213-4214-4215-4216-4217-4218-4219-4220-4221-4222-4223-4224-4225-4226-4227-4228-4229-4230-4231-4232-4233-4234-4235-4236-4237-4238-4239-4240-4241-4242-4243-4244-4245-4246-4247-4248-4249-4250-4251-4252-4253-4254-4255-4256-4257-4258-4

16

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

3/1/2006

10/1/2006

5/1/2006

5/1/2006

5/1/2006

साबिकत
 कामांक

प्रतिनिध
 तंत्राकर्ता

प्रतिनिध
 निचाकर्ता

कार्य
 कार्य

उद्देश
 उद्देश

23


XXIP
Sotic

18

रा. वि. नं. रायपुर-1
रा. वि. नं. रायपुर-2
रा. वि. नं. रायपुर-3

P. II खसरा पांच
P. II खसरा पांच

क्रमांक	रकबा (यदि भूमि पर की गई तो बिकरवा)	करजेंदार का नाम पिता अथवा पति का नाम सकूनत, हकक (देखो कॉडिका 4 का अध्याय 4 का लेंड रिकार्ड मैन्युअल जिल्द 9)	भूमि स्वामी के पट्टा धारी या मीसामी कृषक के उप पट्टे धारी का नाम बाप का नाम लगान या पट्टे शशि और पट्टे पर दी गई भूमि का रकबा	रकबा जो खाते में शामिल					
				जिस पर साल के अन्दर फसल हुई			पडती रकबा		
				नाम जिनत	रकबा	रकबा दुफसली	चार वर्ष की पडती	2 साल से 4 साल तक की पडती	अन्य पडती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
804 233 4	80-85 बाटा	शतिशर लिफ पट्टा 2147 2148 (डर)							233



Handwritten signature and stamp.

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...

3/1/2006
10/1/2006
5/1/2006
5/1/2006
5/1/2006

Handwritten notes on the right side of the page, including dates and names.

23/2006

Handwritten signature and stamp at the bottom.

रकबा (यदि जूम पर की तो हिवर)

कब्जेदार का नाम
 पिता अथवा पति का
 नाम सवूनत, हक्क
 (देखो कांडिका 4 का
 अध्याय 4 का लैंड
 रिकार्ड मेन्युअल
 जिल्द 9)

भूमि स्वामी के पहा
 धारी या धीरामी
 कृषक के उप पट्टे
 धारी का नाम
 बाप का नाम
 लगान या पट्टे राशि
 और पट्टे पर दी गई
 भूमि का रकबा

रकबा जो खाते में शामिल
 जिस पर साल के अन्दर
 फसल हुई

नाम
 जिन्स

रकबा

रकबा
 दुफसली

सबू
 वर्ष की
 पडती


2 साल
 से
 4 साल
 तक की
 पडती

अन्य
 पडती

80x
 455
 5

80-85x
 5/21

शिवशंकर 020
 0211824 214
 2112 45211



28/11/2022

राकपुर-1
 जिला-राकपुर

1. खसरा स्विकृत करने तथा खसरा तैयार करने
2. खसरा तैयार करने के लिए खसरा कर को भिजाने
3. खसरा तैयार करने के लिए खसरा कर को भिजाने
4. खसरा तैयार करने के लिए खसरा कर को भिजाने
5. खसरा तैयार करने के लिए खसरा कर को भिजाने
6. खसरा तैयार करने के लिए खसरा कर को भिजाने
7. खसरा तैयार करने के लिए खसरा कर को भिजाने
8. खसरा तैयार करने के लिए खसरा कर को भिजाने

5/1/2006
 10/1/2006
 5/1/2006
 5/1/2006

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.


20A

पंचनामा

मुलपान

आज दिनांक 31-12-05 को ग्राम इमरतवाब
 प.ह.नं. 104 रा.वि.मं. रायपुर-1 तह. व. जि.
 रायपुर के भूमि स्वसरा नं. 533/2 इका
 9.67 एकड़ आवंटित भूमि के-डीप विद्यालय
 रायपुर को हल्का पटवारी श्री सिन्हा के
 सहयोग से स्थल पर नक्शे के अनुसार
 नापकर चिह्नित किया गया और के-डीप
 विद्यालय रायपुर को उनके आधिपत्य में
 कब्जा-सौका गया। इसमें विमलविर
 व्यक्ति उपस्थित रहे।

① Y. Shukla
 31/12/05
 Y. SHUKLA
 Principal 1042

② 
 31-12-05
 जलीराम साहू
 रा.वि.
 तह. - रायपुर

③ Y. Shukla
 (रायपुरी
 प्रमुखि सिद्ध)

④ Y. Shukla
 31/12/05
 तहसीलदार
 रायपुर

208

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

31/1/2006
 10/1/2006
 5/1/2006

3006
 3006
 3006

23/3006

[Handwritten signatures and scribbles]

...